विविध बैंक प्रकरण संख्या 09/2022(GCMS : 2022/11) ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II, स्पेन्सर प्लाजा नं. 769, माउण्ट रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई – 600002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर– 3202019 राज बनाम 1. राजपाल पुत्र अर्जुन राम, पता वार्ड नं. 1, अलीपुरा, सादुलशहर जिला गंगानगर, राजस्थान– 335062 2. रेशमा रानी पत्नी राजपाल पता वार्ड नं. 1, अलीपुरा, सादुलशहर जिला गंगानगर राजस्थान–335062

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.02.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव मिढ़ा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने कथन किया कि ईक्विटास स्मॉल फाईनेस बैंक लिमिटेड ने अप्रार्थीगण राजपाल एवं रेशमा देवी द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजपाल की **सम्पत्ति पट्टा नं. 36(क्षेत्रफल 1590 वर्गगज), ग्राम अलीपुरा, सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 22.12.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी राजपाल और रेशमा देवी के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजपाल की सम्पत्ति पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नं. 36 (क्षेत्रफल 1590 वर्गगज), ग्राम अलीपुरा, सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का कथन प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम के हाशिये पर भी अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखि़ल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:18 IST
Reason: SelfAttested